## न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

**अपील संख्या –03/ 2007 जिला सीकर**

1. मोहन लाल पुत्र श्री किशनलाल (मृतक दौराने अपील)

1/1. मु0 सोनीदेवी बेवा स्व. श्री मोहनलाल, जाति कुमावत, निवासी दांतारामगढ, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर (राजस्थान)

2/2. सुरेश पुत्र स्व. श्री मोहनलाल, जाति कुमावत, निवासी दांतारामगढ, तहसील दातारामगढ, जिला सीकर ।

1/3. श्रीमती तारामणी पुत्री स्व. श्री मोहनलाल धर्मपत्नी श्री ओमप्रकाश, जाति कुमावत, निवासी ग्राम खाजूवाला, तहसील व जिला बीकानेर ।

1/4. श्रीमती सुगना पुत्री स्व. श्री मोहनलाल धर्मपत्नी श्री महेश, जाति कुमावत, निवासी सिरसी रोड़, ग्राम हातोज, तहसील व जिला जयपुर ।

1/5. श्रीमती मीरादेवी पुत्री स्व. श्री मोहनलाल धर्मपत्नी श्री देवकरण, जाति कुमावत, निवासी उज्जैन, आदर्श नगर बस स्टैण्ड के पास, नानाखेडा, मु.पो.उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.)

1/6. श्रीमती प्रेम पुत्री स्व. श्री मोहनलाल धर्मपत्नी श्री रामचन्द्र, जाति कुमावत, निवासी ग्राम बाय, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

1/7. श्रीमती बिसनी पुत्री स्व. श्री मोहनलाल धर्मपत्नी श्री राजू उर्फ राजेन्द्र, जाति कुमावत, निवासी खाटूश्यामजी, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

| | | |
|---|---|---|
| 2 | श्रीमती ग्यारसी धर्मपत्नी श्री दुर्गालाल | जाति कुमावत, निवासी दांतारामगढ, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर |
| 3 | श्रीमती चावली बेवा स्व. श्री हनुमान | |
| 4 | विनोद पुत्र स्व. श्री हनुमान | |
| 5. | श्रीमती मनोहरी देवी बेवा स्व.श्री शिवदयाल | |
| 6. | पूरणमल पुत्र स्व.श्री शिवदयाल | |
| 7. | कु0प्रियंका पुत्री स्व.श्री शिवदयाल | |
| 8. | कमल पुत्र स्व.श्री शिवदयाल | |
| 9. | जयप्रकाश उर्फ पप्पू स्व.श्री हनुमान | |

10. श्रीमती भंवरी पुत्री स्व.श्री किशनलाल धर्मपत्नी श्री छिगनलाल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम लोसल, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

11. श्रीमती राधा पुत्री स्व. श्री दुर्गालाल धर्मपत्नी श्री नथमल, जाति कुमावत, निवासी पिपराली रोड़, धोबियों की महजीत के पास, ग्राम समर्थपुरा, तहसील व जिला सीकर ।

12 श्रीमती सावित्री पुत्री स्व.श्री दुर्गालाल धर्मपत्नी श्री रामनिवास, जाति कुमावत, निवासी पिपराली रोड, 05 नम्बर कुए के पास, ग्राम समर्थपुरा, तहसील व जिला सीकर।

13. श्रीमती आचुकी पुत्री स्व. श्री दुर्गालाल धर्मपत्नी श्री खेमराज मारोठ्या, जाति कुमावत, निवासी ग्राम हर्ष, तहसील व जिला सीकर।

14. श्रीमती छोटी देवी पुत्री स्व. श्री दुर्गालाल धर्मपत्नी श्री खेमराज कुमावत, जाति कुमावत, निवासी ग्राम आलोदा, वाया खाटूश्यामजी, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।

15. श्रीमती शारदा उर्फ संजू पुत्री स्व.श्री हनुमान धर्मपत्नी श्री हीरालाल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम भट्टा की ढाणी, वाया राणोली, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

– अपीलार्थीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र स्व. श्री मालाराम (मृतक दौराने अपील)

| | | |
|---|---|---|
| 1/1 | बालमुकन्द पुत्र स्व.श्री कन्हैयालाल | जाति कुमावत, निवासी दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर । |
| 1/2 | प्रभु पुत्र स्व.श्री कन्हैयालाल | |
| 1/3 | सीताराम पुत्र स्व.श्री कन्हैयालाल | |
| 1/4 | ताराचन्द पुत्र स्व.श्री कन्हैयालाल | |

1/5 मु0गुलाबी पुत्री स्व.श्री कन्हैया लाल बेवा स्व.श्री नाथूलाल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम कुरड़, तहसील व जिला सीकर ।

1/6 श्रीमती भगवानी पुत्री स्व.श्री कन्हैयालाल धर्मपत्नी श्री अमरचन्द, जाति कुमावत, निवासी ग्राम कुरड़, तहसील व जिला सीकर ।

1/7 श्रीमती पूरणी पुत्री स्व.श्री कन्हैयालाल धर्मपत्नी श्री जगदीश, जाति कुमावत, निवासी ग्राम रेनवाल, तहसील चौमूं जिला जयपुर ।

– रेस्पोंडेंट्स

| | | |
|---|---|---|
| 2. | लालचन्द पुत्र श्री किशनलाल | जाति कुमावत, निवासी दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर । |
| 3. | गौरीशंकर पुत्र श्री किशनलाल | |
| 4. | लक्ष्मण पुत्र श्री किशनलाल | |

5. श्रीमती ममता देवी पुत्री स्व.श्री शिवदयाल धर्मपत्नी श्री कमलेश, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मिण्डा, तहसील सांभर, जिला जयपुर ।
6. श्रीमती किरण देवी पुत्री स्व.श्री शिवदयाल धर्मपत्नी श्री प्रकाश, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मिण्डा, तहसील सांभर, जिला जयपुर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर।

– प्रारूपिक रेस्पोन्डेन्ट्स

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 7.9.2006
नामांतरकरण संख्या 683

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री राजाराम चौधरी ।
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

निर्णय दिनांक – 11.11.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 7.9.2006 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम दांता के गत खसरा नं. 1711, 1712 किता 2 कुल रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार श्री मंगलाराम पुत्र गंगाराम, जाति कुम्हार सा.रामगढ, जिला सीकर था, जिसके स्वर्गवास के पश्चात नामांतरकरण सं.435 मृतक मंगलाराम की विरासत का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व अपीलान्ट के भ्राता किशनाराम के नाम से विधिवत रूप से भरा गया था तथा स्वीकृत किये जाने के उपरान्त किशनाराम द्वारा उक्त नामांतरकरण की अपील की गई । अपील में उक्त

नामांतरकरण को एस.डी.ओ. सीकर द्वारा दिनांक 2.5.72 को जारी निर्णय व डिक्री से खारिज किये जाने के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय की अपील अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के यहां पर दायर की गई, जो राजस्व अपील अधिकारी, सीकर द्वारा दिनांक 19.6.73 को स्वीकार किये जाने पर उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिपक्षी ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां पर राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 19.6.1973 के खिलाफ अपील की, जिसको माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 21.1.74 के द्वारा पूर्णतया निरस्त /खारिज कर दिया । राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 21.1.74 की अनुपालना में ग्राम दांता की उक्त आराजी खसरा नं. 1711 व 1712 के रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा में मंगलाराम की विरासत का नामांतरकरण संख्या 683 पटवारी हल्का द्वारा मंगलाराम के दोनों वारिसान कन्हैयालाल व किशनाराम के नाम से भरा गया, किन्तु उक्त नामांतरकरण को तत्कालीन नायब तहसीलदार ने दोनों के नाम से स्वीकार नहीं कर अकेले किशनाराम के नाम से स्वीकार कर दिया । उक्त नामांतरकरण संख्या 683 से पीड़ित होकर कन्हैयालाल ने जिला कलेक्टर, सीकर के समक्ष अपील दायर की गई जो जिला कलेक्टर, सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 11.5.2006 द्वारा नामांतरकरण संख्या 683 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मा.राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 21.1.74 को दृष्टिगत रखते हुए पुनः अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करें । जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 11.5.2006 की अनुपालना में तहसीलदार दांतारामगढ , जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7.9.2006 पारित किया कि "प्रकरण पूर्ण रूप से विरासत के नामांतरकरण का है, जिसमें ग्रम पंचायत रामगढ द्वारा मंगलाराम के दो वारिस (किशन लाल) किशनाराम व कन्हैया लाल बताये गये हैं तथा पूर्व पटवारी रिपोर्ट व रिकार्ड के अनुसार भी उक्त मंगलाराम के दो वारिस किशन लाल (किशनाराम)व कन्हैया लाल साबित है, इस संदर्भ में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी से लेकर माननीय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सीकर व मानीय राजव मण्डल अजमेर के निर्णय बाद सुनवाई पारित किये जा चुके हैं इसलिये मैं इस प्रकरण में और ज्यादा सुनवाई हेतु अवसर प्रतिपक्षियों को दिया जाना अपनी राय में उचित नहीं समझता हूँ तथा नामांतरकरण संख्या 683 दिनांक 4.8.1977 जो श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सीकर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.5.2006 के द्वारा निरस्त किया गया है, को मंगलाराम के दोनों वारिसान किशनलाल (किशनाराम) व कन्हैया लाल के हक में दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया जाता है, मुताबिक निर्णय किशन लाल (किशनाराम) के वारिसानों के नाम के साथ साथ कन्हैया लाल का नाम उक्त नामांतरकरण में हिस्सा 1/2 में दर्ज किये जाने के आदेश पटवारी हल्का के नाम से अलग से जारी हो "।

चित्र.
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 7.9.2006 जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट मोहन लाल पुत्र किशन लाल वगैहरा द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 17.1.2007 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 7.9.2006 निरस्त करने हेतु प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम दांता, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर स्थित भूमि खसरा नं. 1711 रकबा 13 बीघा व 1712 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा श्री मंगलाराम पुत्र गंगाराम कुम्हार की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि थी और राजस्व भू–अभिलेखों में श्री मंगलाराम का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था । श्री मंगलाराम का स्वर्गवास हो जाने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 435 दिनांक 1.4.1971 को कन्हैयालाल व किशनाराम उर्फ किशनलाल पुत्रान मंगलाराम के नाम बहिस्सा बराकर तस्दीक कर दिया गया था। नामांतरकरण संख्या 435 के विरूद्ध किशनलाल ने अपील प्रस्तुत की जिसे अति0जिला कलेक्टर, सीकर ने दिनांक 21.9.71 को निरस्त कर दिया।

अति. कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 21.9.71 से नामांतरकरण संख्या 435 दिनांक 1.4.71 के विरूद्ध किशन लाल की अपील निरस्त किये जाने पर किशनलाल ने भूमि विवादग्रस्त के संबंध में एक दावा उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें उपखण्ड अधिकारी, सीकर ने एकतरफा निर्णय दिनांक 2.5.72 पारित करते हुए नामांतरकरण तन्हा किशनलाल के नाम तस्दीक कर दिया गया ।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर के उपरोक्त निर्णय दिनांक 2.5.72 के विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर को प्रस्तुत की गई, जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19.6.73 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 2.5.72 को खारिज कर दिया ।

राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 19.6.73 के खिलाफ किशन लाल ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की, जो मा.राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 21.1.74 से निरस्त हुई है । राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय की क्रियान्विति में नामांतरकरण संख्या 407 दिनांक 7.5.1975 को कन्हैयालाल व किशनलाल दोनों के नाम बहिस्सा बराबर तस्दीक कर दिया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उनका यह भी कथन था कि नामांतरकरण सं. 683 कन्हैयालाल व किशनलाल दोनों के पक्ष में भरा गया था उसे नायब तहसीलदार, दांतारामगढ ने दिनांक 4.8.77 को जो निरस्त कर दिया गया । जिसके विरूद्ध कन्हैयालाल द्वारा जिला कलेक्टर, सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 11.5.2006 के निर्णय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार हुई एवं प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर मा0राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 21.1.1974 को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें । जिला कलेक्टर, सीकर के निर्णय दिनांक 11.5.2006 की क्रियान्विति में पत्रावली तहसीलदार, दांतारामगढ के समक्ष प्रस्तुत हुई किन्तु तहसीलदार दांतारामगढ ने अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष समर्थ का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 7.9.2006 को एकतरफा निर्णय पारित करते हुए विवादग्रस्त भूमि को किशनलाल के उत्तराधिकारियों व मोहनलाल के नाम बहिस्सा बराबर तस्दीक किये जाने का निर्णय पारित कर दिया । उनका कहना था कि तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का नोटिस नहीं दिया जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक था । अपीलार्थी मोहन लाल बिहार तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लालचन्द पुत्र किशन लाल दुबई तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 लक्ष्मण पुत्र किशन लाल आसाम रहते हैं जिसकी जानकारी रेस्पोंडेन्ट कन्हैया लाल को थी जिनको नोटिस जारी नहीं

किये गये ओर इकतरफा कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित करा लिया, जो विधिसम्यक नहीं होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि विवादित भूमि से रेस्पोंडेन्ट कन्हैया लाल का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । मंगलाराम के जीवनकाल से ही किशन लाल विवादित भूमि पर काबिज काश्त है । रेस्पोंडेन्ट कन्हैया लाल ने स्वयं ने ही इकरारनामा दिनांक 11.6.53 को लिखकर स्वीकार किया है विवादित भूमि तन्हा किशन लाल की ही खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है और उसका भूमि विवादग्रस्त से काई संबंध नहीं है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय पारित कराया है जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था किशनलाल के पश्चात् उसके कानूनी उत्तराधिकारी विवादित भूमि पर काबिज काश्त है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में नियमित वाद प्रस्तुत किया हुआ है, जो विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में वाद के विचाराधीन रहते नामांतरकरण की कार्यवाही पूर्णतः अवैध व शून्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में मुख्यतः विवाद विवादित भूमि के खातेदार मृतक मंगलाराम की विरासत के नामांतरकरण का है । मृतक मंगलाराम की विरासत का नामांतरकरण सं. 435 कन्हैया लाल व किशनाराम के नाम स्वीकृत किये जाने के उपरान्त किशनाराम द्वारा उक्त नामांतरकरण के खिलाफ की गई अपील में उक्त नामांतरकरण को एस.डी.ओ. सीकर ने निर्णय व डिक्री दिनांक 2.5.72 से खारिज कर दिया । उपखण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट की अपील राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 19.6.73 से स्वीकार होने से उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिपक्षी की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 21.1.74 से पूर्णतया निरस्त /खारिज हुई । राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 21.1.74 की अनुपालना में ग्राम दांता की उक्त आराजी खसरा नं. 1711 व 1712 के रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा में मंगलाराम की विरासत का नामांतरकरण संख्या 683 पटवारी हल्का द्वारा मंगलाराम के दोनों वारिसान कन्हैयालाल व किशनाराम के नाम से भरा गया, किन्तु उक्त नामांतरकरण को तत्कालीन नायब तहसीलदार ने दोनों के नाम से स्वीकार नहीं कर अकेले किशनाराम के नाम से स्वीकार कर दिया । उक्त नामांतरकरण संख्या 683 से पीड़ित होकर कन्हैयालाल ने जिला कलेक्टर, सीकर के समक्ष अपील दायर की, जो जिला कलेक्टर, सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 11.5.2006 द्वारा नामांतरकरण संख्या 683 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मा.राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 21.1.74 को दृष्टिगत रखते हुए पुनः अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करें , जिसकी अनुपालना में तहसीलदार दांतारामगढ , जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7.9.2006 पारित कर प्रकरण पूर्ण रूप से विरासत के नामांतरकरण होने से ग्रम पंचायत रामगढ द्वारा मंगलाराम के दो वारिस (किशन लाल) किशनाराम व कन्हैया लाल बताये जाने से तथा पूर्व पटवारी रिपोर्ट व रिकार्ड के अनुसार भी उक्त मंगलाराम के दो वारिस किशन लाल (किशनाराम)व कन्हैया लाल साबित होने से उक्त संबंध में उपखण्ड अधिकारी से लेकर माननीय राजस्व अपील अधिकारी, जिला कलक्टर सीकर व मानीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय बाद सुनवाई पारित किये जा चुके हैं इसलिये मैं इस प्रकरण में और ज्यादा सुनवाई हेतु अवसर प्रतिपक्षियों को दिया जाना अपनी राय में उचित नहीं समझते हुये नामांतरकरण संख्या 683 दिनांक 4.8.1977 जो जिला कलक्टर महोदय सीकर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.5.2006 के

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा निरस्त किया गया है, को मंगलाराम के दोनों वारिसान किशनलाल (किशनाराम) व कन्हैया लाल के हक में दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया जाता है, मुताबिक निर्णय किशन लाल (किशनाराम) के वारिसानों के नाम के साथ–साथ कन्हैया लाल का नाम उक्त नामांतरकरण में हिस्सा 1/2 में दर्ज किये जाने के पटवारी हल्का के नाम अलग से जारी करने के आदेश दिये हैं । हम समझते हैं कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य माननीय राजस्व मण्डल तक से निर्णय होने के उपरान्त तहसीलदार दांतारामगढ ने मृतक मंगलाराम की विरासत का नामांतरकरण किशन लाल (किशनाराम) के वारिसान एवं कन्हैया लाल के नाम दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर